अतिआवश्यक / समयबद्ध / महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांकः– 295 /33–1 ,दिनांक, महोबा, जुलाई 23 ,2022

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (सिविल)
उत्तर प्रदेश, जल निगम (ग्रामीण) महोबा।

विषयः– पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राजकीय मार्ग में संरक्षित वन भूमि पर पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1. प्रस्ताव संख्या–FP/UP/WATER/152706/2022.
2. इस कार्यालय का पत्रांक–3792/33–1, दिनांक 17.05.2022.

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः–

1. प्रस्तावित वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल सी0डी0 में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
3. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली वन भूमि के के0एम0एल0 फाइल सी0डी0 में उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली वन भूमि का सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट एवं सी0डी0 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दी जाने वाली वन भूमि का सत्यापित Geo Reference Digital Map एवं सी0डी0 नहीं उपलब्ध करायी गयी।
6. प्रस्ताव के अभिलेख क्रम से संलग्न नहीं किये गये है तथा विषय सूची एवं पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गयी है।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–232/11–सी–बैठक, दिनांक 19.07.2022 के क्रम में आयोजित बैठक दिनांक 20.07.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं आपको अवगत कराया गया है कि उपरोक्त अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराये इस सम्बन्ध में आपसे लगातार दूरभाष से सम्पर्क किये जाने के उपरान्त भी आप द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख अभी तक इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये गये है, जो अत्यन्त खेदजनक है। उपरोक्त प्रकरण भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है, जो आप द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने प्रतिनिधि को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए समस्त अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव तत्काल ऑन लाइन तथा हार्ड कापी 05 प्रतियों में इस कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके, अन्यथा विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः– प्रस्ताव की 05 प्रतियाँ।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या–295/अ/सम् दिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झाँसी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0, बाँदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या–295/ब/सम् दिनांक।

प्रतिलिपि– अपर जिलाधिकारी, महोबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, महोबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।